



कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर-342001
email- jdajodhpur@yahoo.com वेब-साइट- jodhpurjda.org Phone No. 0291-2612196/2612196/2612196

क्रमांक: F37.(3)/नि.आ./बीपीसी(एल.पी.)/का.वि./2023/1172

दिनांक:- 08/09/23

—कार्यवाही विवरण:—

विषय:— भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (ले-आउट प्लान) की 21/2023 वीं बैठक दिनांक 29.08.2023 को आयुक्त महोदय, जोधपुरा, जोधपुर की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित हुई, जिसमें उपस्थित सदस्यों का विवरण परिशिष्ट-“1” पर है। बैठक के दौरान जोन-2 के प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार विमर्श किया जाकर निम्नवत निर्णय लिये गये।

एजेण्डा

विषय:— भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (ले-आउट प्लान) की जोन-2 की 14/2023 वीं बैठक दिनांक 06.07.2023 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि।

निर्णय:— समिति द्वारा विचार-विमर्श उपरांत सर्व-सम्मति से गत बैठक दिनांक 06.07.2023 में लिए गए निर्णय की पुष्टि करते हुए जारी कार्यवाही विवरण के अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या 01 :-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
29.08.2023	जोन-2	झालामण्ड	514/1	1581.62 वर्गमीटर	पेट्रोल पम्प एकल भूखण्ड
आवेदक	श्रीमती मीरा देवी पत्नी श्री छैलाराम				
विषय:—	राजस्व ग्राम झालामण्ड के खसरा संख्या 514/1 रकबा 1581.62 वर्गमीटर में पेट्रोल पम्प एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।				
निर्णय:—	समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। विचार-विमर्श उपरांत निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:— 1. आवेदित भूमि को उपलब्ध पहुंच मार्ग की चौड़ाई मास्टर/जोनल डवलपमेंट प्लान अनुसार 60 मीटर रखे जाने हेतु सड़क मध्य से 30 मीटर भूमि सड़क मार्गाधिकार हेतु निःशुल्क आरक्षित रखी जावें। साथ ही जोनल डवलपमेंट प्लान की 36 मीटर सड़क हेतु सड़क मध्य से 18 मीटर भूमि सड़क मार्गाधिकार हेतु आरक्षित रखी जावें। 2. राजस्थान (नगरीय क्षेत्र जोधपुर) भवन विनियम 2020 के प्रावधान 21.5 (5.2) अनुसार पेट्रोल पम्प में राष्ट्रीय राजमार्ग/राज्य राजमार्ग/बाईपास आदि प्रमुख सड़कों के दोनों ओर प्रस्तावित 30 मीटर बफर जोन में हाईवे पर वाहनों की सुविधा हेतु उपयोग/गतिविधि यथा पेट्रोल पम्प (अधिकतम 35 मीटर X 30 मीटर), वे-ब्रिज/ऑटोमोबाईल वर्क शॉप आदि अनुज्ञेय किए जा सकेंगे तथापि ऐसे भूखण्डों पर निर्माण सड़क के मार्गाधिकार के पश्चात् न्यूनतम 10 मीटर भूमि बफर हेतु छोड़ने के पश्चात् ही किये जा सकेंगे एवं इस 10 मीटर बफर में न्यूनतम 6.0 मीटर भूमि पर सघन वृक्षारोपण किया जाना अनिवार्य होगा। 3. एन.जी.टी के प्रावधानों की पालना की सुनिश्चितता जोन स्तर पर किया जाना अनिवार्य है। उक्त के संबंध में प्रार्थी से शपथ पत्र लिया जावें। 4. आवेदित भूमि की 100 मीटर की परिधि में ज्वलनशील गतिविधि नहीं है जिसकी सुनिश्चितता जोन स्तर से की जावें। 5. राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड/संबंधित विभाग द्वारा जारी गाइडलाइन की पूर्ण पालना की जावें। 6. प्रार्थी से संबंधित एजेन्सी राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण/पी.डब्ल्यू.डी से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्राप्त किया जावे जिसकी सुनिश्चितता पट्टा विलेख जारी करने से पूर्व जोन स्तर पर की जावें। 7. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावें। 8. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र				

	लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे। 9. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।
--	--

एजेण्डा संख्या 02 :-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
29.08.2023	जोन-2	बासनी बाघेला	7/1 व 7/4	02.10.00 बीघा	होटल एकल भूखण्ड
आवेदक	श्रीमती मैनादेवी पत्नी श्री हरिप्रसाद				
विषय:-	राजस्व ग्राम बासनी बाघेला के खसरा संख्या 7/1 व 7/4 रकबा 02.10.00 बीघा में होटल एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।				
निर्णय:-	समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। विचार-विमर्श उपरांत निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:- 1. आवेदित भूमि को समर्पित रास्ते से 18 मीटर का पहुंच मार्ग उपलब्ध हो रहा है। उक्त रास्ते की मौके पर सुनिश्चितता जोन स्तर पर की जावे। 2. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावे। 3. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे। 4. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।				

एजेण्डा संख्या 03 :-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
29.08.2023	जोन-2	झालामण्ड	437	03.04.00 बीघा में से 03.00.07 बीघा	आवासीय योजना
आवेदक	श्री मंगलाराम पुत्र श्री गंगाराम				
विषय:-	राजस्व ग्राम झालामण्ड के खसरा संख्या 437 रकबा 03.04.00 बीघा में से 03.00.07 बीघा में आवासीय योजना प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।				
निर्णय:-	समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। विचार-विमर्श उपरांत निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:- 1. आवेदित भूमि को उपलब्ध पहुंच मार्ग की चौड़ाई पूर्व कमिटमेंट अनुसार 30 मीटर रखे जाने हेतु सड़क मध्य से 15 मीटर में आ रही प्रार्थी की भूमि सड़क मार्गाधिकार हेतु आरक्षित रखी जावे। 2. टाउनशिप पॉलिसी 2010 के प्रावधानों एवम् नियोजन को दृष्टिगत रखते हुए समिति के अन्य सुझावों का समावेश करते हुए ले-आउट प्लान जारी किया जावे। 3. टाउनशिप पॉलिसी-2010 के समस्त प्रावधानों की पालना आवेदक स्तर पर सुनिश्चित की जावे। 4. योजना का क्षेत्रफल 2 है0 से कम है, अतः भविष्य में योजना की आवश्यकता अनुसार योजना में पार्क की भूमि पर Overhead Water Tank का निर्माण विशेष परिस्थिति में जोन उपायुक्त व निदेशक अभियांत्रिकी की स्वीकृति उपरान्त किया जा सकेगा। 5. प्रस्तावित योजना मानचित्र में पार्क के सहारे दर्शित 10 फीट पाथ को पार्क में दर्शाया जावे, तथा पाथ क्षेत्रफल की गणना पार्क के न्यूनतम 5 प्रतिशत क्षेत्र के अतिरिक्त की जावे।				

	जावे। अर्थात् न्यूनतम 5 प्रतिशत पार्क एवं पाथ के क्षेत्रफल को सम्मिलित करते हुए कुल क्षेत्रफल को पार्क क्षेत्रफल दर्शाया जावे। 6. मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 के प्रावधानानुसार 2 है० से कम क्षेत्रफल की योजना में नियमानुसार विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 10 प्रतिशत क्षेत्रफल के समतुल्य राशि जोन स्तर पर ली जावे। 7. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 10.08.2020 को जारी अधिसूचना अनुसार नियमानुसार मोबाईल टॉवर एवं ठोस कचरा संग्रहण स्थल का प्रावधान किया जावे। 8. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यों की एवज में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने है जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा। 9. अनुमोदित मानचित्र अनुसार मौके पर डिमारकेशन उपरान्त ही भूखण्डों के बेचान आदि की सुनिश्चितता प्रार्थी द्वारा की जावे। 10. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे। 11. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।
--	---

एजेण्डा संख्या 04 :-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
29.08.2023	जोन-2	भाकरासनी	104/3, 101/2, 101, 102, 102/1, 103, 102/2, 102/3, 103/1, 101/8, 101/7, 101/9, 104/2	57.06.11 बीघा	आवासीय योजना
आवेदक	श्री बीजाराम पुत्र श्री बालाराम, श्री चैनाराम पुत्र श्री धन्नाराम, मैसर्स आशापूर्णा बिल्डकॉन प्रा.लि जरिये डायरेक्टर हर्षवर्धन सिंह, श्रीमती रतन कंवर पत्नी श्री गोविन्दसिंह, श्री रतनाराम पुत्र श्री सांखला राम एवं श्री शंकर पुत्र श्री गोमाजी				
विषय:-	राजस्व ग्राम भाकरासनी के खसरा संख्या 104/3, 101/2, 101, 102, 102/1, 103, 102/2, 102/3, 103/1, 101/8, 101/7, 101/9, 104/2 रकबा 57.06.11 बीघा में आवासीय योजना प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।				
निर्णय:-	समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। विचार-विमर्श उपरांत निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:- 1. आवेदित भूमि को उपलब्ध पहुंच मार्ग की चौड़ाई जोनल डवलपमेंट प्लान अनुसार 24 मीटर रखे जाने हेतु सड़क मध्य से 12 मीटर भूमि सड़क मार्गाधिकार हेतु आरक्षित रखी जावे। 2. आवेदित भूमि में से गुजर रही मास्टर डवलपमेंट प्लान की 30 मीटर सड़क हेतु सड़क मध्य से 15 मीटर भूमि सड़क मार्गाधिकार हेतु आरक्षित रखी जावे। 3. टाउनशिप पॉलिसी 2010 के प्रावधानों एवम् नियोजन को दृष्टिगत रखते हुए समिति के अन्य सुझावों का समावेश करते हुए ले-आउट प्लान जारी किया जावे। 4. राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 29.09.2021 के परिपेक्ष में आवेदित भूमि में से गुजर रही मास्टर प्लान सड़क व एच.टी.लाईन के सेपटी कोरिडोर से प्रभावित भूमि के परिप्रेक्ष्य में योजना में 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र शिथिलता दी जावे। 5. आवेदित भूमि में से गुजर रही एच.टी. विद्युत लाईन की क्षमता एवं स्थिति की रिपोर्ट जोन से प्राप्त कर नियमानुसार सेपटी कॉरीडोर एवम् सेपटी कॉरीडोर सहारे सड़क का प्रावधान किया जावे। 6. टाउनशिप पॉलिसी-2010 के समस्त प्रावधानों की पालना आवेदक स्तर पर सुनिश्चित की जावे।				

	7. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 10.08.2020 को जारी अधिसूचना अनुसार नियमानुसार मोबाईल टॉवर एवं ठोस कचरा संग्रहण स्थल का प्रावधान किया जावे। 8. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यों की एवज में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने है जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा। 9. अनुमोदित मानचित्र अनुसार मौके पर डिमारकेशन उपरान्त ही भूखण्डों के बेचान आदि की सुनिश्चितता प्रार्थी द्वारा की जावे। 10. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे। 11. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।
--	--

एजेण्डा संख्या 05 :-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
29.08.2023	जोन-2	बासनी बाघेला	146 / 105 व 148 / 105	3.8931 हैक्टर में से 1.14679 है0	आवासीय योजना
आवेदक	श्री बादरराम, श्री जालाराम, श्री जोराराम पुत्रान् श्री शोभाराम एवं श्री बंशीलाल, श्री बिरमाराम, श्री धन्नाराम पुत्रान् श्री सकताराम				
विषय:-	राजस्व ग्राम बासनी बाघेला के खसरा संख्या 146 / 105 व 148 / 105 रकबा 3.8931 हैक्टर में से 1.14679 है0 में आवासीय योजना प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।				
निर्णय:-	समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। विचार-विमर्श उपरांत निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:- 1. आवेदित भूमि को पूर्व अनुमोदित योजना में से 60 फीट पट्टा मार्ग उपलब्ध हो रहा है जिसकी सुनिश्चितता जोन स्तर पर की जावे। 2. टाउनशिप पॉलिसी 2010 के प्रावधानों एवम् नियोजन को दृष्टिगत रखते हुए समिति के अन्य सुझावों का समावेश करते हुए ले-आउट प्लान जारी किया जावे। 3. टाउनशिप पॉलिसी-2010 के समस्त प्रावधानों की पालना आवेदक स्तर पर सुनिश्चित की जावे। 4. योजना का क्षेत्रफल 2 है0 से कम है, अतः भविष्य में योजना की आवश्यकता अनुसार योजना में पार्क की भूमि पर Overhead Water Tank का निर्माण विशेष परिस्थिति में जोन उपायुक्त व निदेशक अभियांत्रिकी की स्वीकृति उपरान्त किया जा सकेगा। 5. मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 के प्रावधानानुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल की योजना में नियमानुसार विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 10 प्रतिशत क्षेत्रफल के समतुल्य राशि जोन स्तर पर ली जावे। 6. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 10.08.2020 को जारी अधिसूचना अनुसार नियमानुसार मोबाईल टॉवर एवं ठोस कचरा संग्रहण स्थल का प्रावधान किया जावे। 7. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यों की एवज में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने है जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा। 8. अनुमोदित मानचित्र अनुसार मौके पर डिमारकेशन उपरान्त ही भूखण्डों के बेचान आदि की सुनिश्चितता प्रार्थी द्वारा की जावे। 9. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई				

	विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे। 10. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।
--	--

एजेण्डा संख्या 06 :-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
29.08.2023	जोन-2	झालामण्ड	394, 395/6, 395/6/1, 395/6/2, 395/6/3, 395/6/4	07.03.00 बीघा	आवासीय योजना
आवेदक	श्री पुष्पेन्द्र सिंह उदावत पुत्र श्री छोटूसिंह उदावत				
विषय:-	राजस्व ग्राम झालामण्ड के खसरा संख्या 394, 395/6, 395/6/1, 395/6/2, 395/6/3, 395/6/4 रकबा 07.03.00 बीघा में आवासीय योजना प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।				
निर्णय:-	समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। विचार-विमर्श उपरांत निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:- 1. आवेदित भूमि को पूर्व अनुमोदित योजना में से 40 फीट पहुंच मार्ग उपलब्ध हो रहा है जिसकी सुनिश्चितता जोन स्तर पर की जावे। 2. आवेदित भूमि में से गुजर रही जोनल प्लान की 18 मीटर सड़क को योजना मानचित्र में दर्शाया जावे। 3. टाउनशिप पॉलिसी 2010 के प्रावधानों एवम् नियोजन को दृष्टिगत रखते हुए समिति के अन्य सुझावों का समावेश करते हुए ले-आउट प्लान जारी किया जावे। 4. टाउनशिप पॉलिसी-2010 के समस्त प्रावधानों की पालना आवेदक स्तर पर सुनिश्चित की जावे। 5. योजना का क्षेत्रफल 2 है० से कम है, अतः भविष्य में योजना की आवश्यकता अनुसार योजना में पार्क की भूमि पर Overhead Water Tank का निर्माण विशेष परिस्थिति में जोन उपायुक्त व निदेशक अभियांत्रिकी की स्वीकृति उपरान्त किया जा सकेगा। 6. मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 के प्रावधानानुसार 2 है० से कम क्षेत्रफल की योजना में नियमानुसार विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 10 प्रतिशत क्षेत्रफल के समतुल्य राशि जोन स्तर पर ली जावे। 7. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 10.08.2020 को जारी अधिसूचना अनुसार नियमानुसार मोबाईल टॉवर एवं ठोस कचरा संग्रहण स्थल का प्रावधान किया जावे। 8. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यों की एवज में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने हैं जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा। 9. अनुमोदित मानचित्र अनुसार मौके पर डिमारकेशन उपरान्त ही भूखण्डों के बेचान आदि की सुनिश्चितता प्रार्थी द्वारा की जावे। 10. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे। 11. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।				

एजेण्डा संख्या 07 :-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
29.08.2023	जोन-2	झालामण्ड	36/1	04.01.00 बीघा	आवासीय योजना

आवेदक	श्री राजेन्द्र सिंह गहलोत पुत्र श्री उदयाराम
विषय:-	राजरव ग्राम झालामण्ड के खसरा संख्या 36/1 रकबा 04.01.00 बीघा में आवासीय योजना प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।
निर्णय:-	समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। विचार-विमर्श उपरांत निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:- 1. आवेदित भूमि को पूर्व अनुमोदित योजना में से 40 फीट पहुंच मार्ग उपलब्ध हो रहा है जिसकी सुनिश्चितता जोन स्तर पर की जाए। 2. टाउनशिप पॉलिसी 2010 के प्रावधानों एवम् नियोजन को दृष्टिगत रखते हुए समिति के अन्य सुझावों का समावेश करते हुए ले-आउट प्लान जारी किया जाए। 3. टाउनशिप पॉलिसी-2010 के समस्त प्रावधानों की पालना आवेदक स्तर पर सुनिश्चित की जाए। 4. योजना का क्षेत्रफल 2 है० से कम है, अतः भविष्य में योजना की आवश्यकता अनुसार योजना में पार्क की भूमि पर Overhead Water Tank का निर्माण विशेष परिस्थिति में जोन उपायुक्त व निदेशक अभियांत्रिकी की स्वीकृति उपरान्त किया जा सकेगा। 5. मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 के प्रावधानानुसार 2 है० से कम क्षेत्रफल की योजना में नियमानुसार विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 10 प्रतिशत क्षेत्रफल के समतुल्य राशि जोन स्तर पर ली जाए। 6. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 10.08.2020 को जारी अधिसूचना अनुसार नियमानुसार मोबाईल टॉवर एवं ठोस कचरा संग्रहण रथल का प्रावधान किया जाए। 7. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यो की एवज में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने है जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा। 8. अनुमोदित मानचित्र अनुसार मौके पर डिमारकेशन उपरान्त ही भूखण्डों के बेचान आदि की सुनिश्चितता प्रार्थी द्वारा की जाए। 9. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे। 10. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 08 :-

बैठक दिनांक	जोन	राजरव ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
29.08.2023	जोन-2	खेजडली कलां	52/4 व 52/7	0.3319 है०	व्यवसायिक एकल
आवेदक	श्री संजय सोलंकी पुत्र श्री पुखाराम				
विषय:-	राजरव ग्राम खेजडली कलां के खसरा संख्या 52/4 व 52/7 रकबा 0.3319 है० में व्यवसायिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।				
निर्णय:-	समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। विचार-विमर्श उपरांत निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:- 1. आवेदित भूमि को उपलब्ध पहुंच मार्ग की चौड़ाई मारटर/जोनल डवलपमेन्ट प्लान अनुसार 60 मीटर रखी जाए। सड़क मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी की भूमि में से आरक्षित रखी जाए। सड़क मार्गाधिकार पश्चात् 30 मीटर गहराई की वृक्षारोपण पट्टी आरक्षित रखी जाए। 2. आवेदित भूमि के दक्षिण दिशा में स्थित राजरव सारते को 24 मीटर निर्धारित किये जाने के संबंध में जोन उपायुक्त द्वारा नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 10.08.2020 के विन्दु संख्या 01 अनुसार आपत्ति आमंत्रण की कार्यवाही जोन स्तर पर की जाए। कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर सड़क मार्गाधिकार				

	हेतु 24 मीटर रखते हुए सड़क मध्य से 12 मीटर भूमि में आ रही प्रार्थी की भूमि जोविप्रा के हक में निःशुल्क समर्पित की जाकर ले-आउट प्लान जारी किया जावे। आपत्ति प्राप्त होने पर प्रकरण को आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे। सड़क मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी की भूमि में से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावे। 3. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावे। 4. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। 5. प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।
--	---

एजेण्डा संख्या 09 :-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
29.08.2023	जोन-2	झालामण्ड	767 मीन	11.12.00 बीघा	आवासीय योजना
आवेदक	श्री ओमप्रकाश पुत्र श्री भंवरलाल एवं श्रीमती शोभा पत्नी श्री कन्हैयालाल				
विषय:-	राजस्व ग्राम झालामण्ड के खसरा संख्या 767 मीन रकबा 11.12.00 बीघा में आवासीय योजना प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।				
निर्णय:-	समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। विचार-विमर्श उपरांत निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:- 1. आवेदित भूमि को पूर्व अनुमोदित योजना में से 40 फीट पहुंच मार्ग उपलब्ध हो रहा है जिसकी सुनिश्चितता जोन स्तर पर की जावे। 2. आवेदित भूमि में से गुजर रही एच.टी विद्युत लाईन की क्षमता एवं स्थिति की रिपोर्ट जोन से प्राप्त कर नियमानुसार सेपटी कॉरीडोर एवम् सेपटी कॉरीडोर सहारे सड़क का प्रावधान किया जावे। 3. टाउनशिप पॉलिसी 2010 के प्रावधानों एवम् नियोजन को दृष्टिगत रखते हुए समिति के अन्य सुझावों का समावेश करते हुए ले-आउट प्लान जारी किया जावे। 4. टाउनशिप पॉलिसी-2010 के समस्त प्रावधानों की पालना आवेदक स्तर पर सुनिश्चित की जावे। 5. योजना का क्षेत्रफल 2 है0 से कम है, अतः भविष्य में योजना की आवश्यकता अनुसार योजना में पार्क की भूमि पर Overhead Water Tank का निर्माण विशेष परिस्थिति में जोन उपायुक्त व निदेशक अभियांत्रिकी की स्वीकृति उपरान्त किया जा सकेगा। 6. मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 के प्रावधानानुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल की योजना में नियमानुसार विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 10 प्रतिशत क्षेत्रफल के समतुल्य राशि जोन स्तर पर ली जावे। 7. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 10.08.2020 को जारी अधिसूचना अनुसार नियमानुसार मोबाईल टॉवर एवं ठोस कचरा संग्रहण स्थल का प्रावधान किया जावे। 8. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यों की एवज में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने है जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा। 9. अनुमोदित मानचित्र अनुसार मौके पर डिमारकेशन उपरान्त ही भूखण्डों के बेचान आदि की सुनिश्चितता प्रार्थी द्वारा की जावे। 10. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।				

	11. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।
--	--

एजेण्डा संख्या 10 :-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
29.08.2023	जोन-2	झालामण्ड	398/4	00.13.14 बीघा	आवासीय एकल
आवेदक	श्री अनिल पुत्र श्री ओमप्रकाश				
विषय:-	राजस्व ग्राम झालामण्ड के खसरा संख्या 398/4 रकबा 00.13.14 बीघा में आवासीय एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन वावत्।				
निर्णय:-	समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। विचार-विमर्श उपरांत निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:- 1. आवेदित भूमि को पूर्व अनुमोदित योजना में से 60 फीट पहुंच मार्ग उपलब्ध हो रहा है जिसकी सुनिश्चितता जोन स्तर पर की जाएं। 2. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जाएं। 3. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। 4. प्रार्थी से इस वावत् शपथ-पत्र लिया जाएं कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस वावत् जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जाएं। 5. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।				

एजेण्डा संख्या 11 :-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
29.08.2023	जोन-2	भाकरासनी	166/5, 166/7, 166/8	06.09.00 बीघा	आवासीय योजना
आवेदक	श्री भंवराराम पुत्र श्री सुखाराम				
विषय:-	राजस्व ग्राम भाकरासनी के खसरा संख्या 166/5, 166/7, 166/8 रकबा 06.09.00 बीघा में आवासीय योजना प्रयोजनार्थ अनुमोदन वावत्।				
निर्णय:-	समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। विचार-विमर्श उपरांत निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:- 1. आवेदित भूमि को उपलब्ध पहुंच मार्ग की चौड़ाई 12 मीटर की सुनिश्चितता की जाएं। सड़क मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी की भूमि में से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जाएं। 2. टाउनशिप पॉलिसी 2010 के प्रावधानों एवम् नियोजन को दृष्टिगत रखते हुए समिति के अन्य सुझावों का समावेश करते हुए ले-आउट प्लान जारी किया जाएं। 3. टाउनशिप पॉलिसी-2010 के समस्त प्रावधानों की पालना आवेदक स्तर पर सुनिश्चित की जाएं। 4. योजना का क्षेत्रफल 2 है0 से कम है, अतः भविष्य में योजना की आवश्यकता अनुसार योजना में पार्क की भूमि पर Overhead Water Tank का निर्माण विशेष परिस्थिति में जोन उपायुक्त व निदेशक अभियांत्रिकी की स्वीकृति उपरान्त किया जा सकेगा। 5. मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 के प्रावधानानुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल की योजना में नियमानुसार विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 10 प्रतिशत क्षेत्रफल के समतुल्य राशि जोन स्तर पर ली जाएं। 6. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 10.08.2020 को जारी अधिसूचना अनुसार नियमानुसार मोबाईल टॉवर एवं ठोस कचरा संग्रहण स्थल का प्रावधान किया जाएं।				

7.	नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यों की एवज में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने है जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा।
8.	अनुमोदित मानचित्र अनुसार मौके पर डिमारकेशन उपरान्त ही भूखण्डों के बेचान आदि की सुनिश्चितता प्रार्थी द्वारा की जावें।
9.	उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।
10.	प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

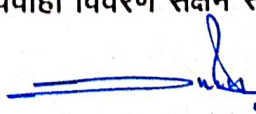
एजेण्डा संख्या 12 :-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
29.08.2023	जोन-2	झालामण्ड	34	03.00.00 बीघा	आवासीय योजना
आवेदक	श्रीमती संजु देवी पत्नी श्री भानाराम				
विषय:-	राजस्व ग्राम झालामण्ड के खसरा संख्या 34 रकबा 03.00.00 बीघा में आवासीय योजना प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।				
निर्णय:-	समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। विचार-विमर्श उपरांत निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:- 1. आवेदित भूमि को पूर्व अनुमोदित योजना में से 12 मीटर पहुंच मार्ग उपलब्ध हो रहा है जिसकी सुनिश्चितता जोन स्तर पर की जावें। 2. टाउनशिप पॉलिसी 2010 के प्रावधानों एवम् नियोजन को दृष्टिगत रखते हुए समिति के अन्य सुझावों का समावेश करते हुए ले-आउट प्लान जारी किया जावें। 3. टाउनशिप पॉलिसी-2010 के समस्त प्रावधानों की पालना आवेदक स्तर पर सुनिश्चित की जावें। 4. योजना का क्षेत्रफल 2 है० से कम है, अतः भविष्य में योजना की आवश्यकता अनुसार योजना में पार्क की भूमि पर Overhead Water Tank का निर्माण विशेष परिस्थिति में जोन उपायुक्त व निदेशक अभियांत्रिकी की स्वीकृति उपरान्त किया जा सकेगा। 5. मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 के प्रावधानानुसार 2 है० से कम क्षेत्रफल की योजना में नियमानुसार विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 10 प्रतिशत क्षेत्रफल के समतुल्य राशि जोन स्तर पर ली जावें। 6. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 10.08.2020 को जारी अधिसूचना अनुसार नियमानुसार मोबाईल टॉवर एवं ठोस कचरा संग्रहण स्थल का प्रावधान किया जावें। 7. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यों की एवज में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने है जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा। 8. अनुमोदित मानचित्र अनुसार मौके पर डिमारकेशन उपरान्त ही भूखण्डों के बेचान आदि की सुनिश्चितता प्रार्थी द्वारा की जावें। 9. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। 10. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।				

एजेण्डा संख्या 13 :-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
29.08.2023	जोन-2	झालामण्ड	27	09.05.06 3/4 बीघा	आवासीय योजना
आवेदक	श्रीमती बेबी पत्नी श्री सोहनराम एवं श्रीमती गीता पत्नी श्री चैनाराम				
विषय:-	राजस्व ग्राम झालामण्ड के खसरा संख्या 27 रकबा 09.05.06 3/4 बीघा में आवासीय योजना प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।				
निर्णय:-	समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। विचार-विमर्श उपरांत निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:- 1. आवेदित भूमि को पूर्व अनुमोदित योजना में से 40 फीट पहुंच मार्ग उपलब्ध हो रहा है जिसकी सुनिश्चितता जोन स्तर पर की जाएं। 2. आवेदित भूमि में से गुजर रही जोनल डवलपमेंट प्लान की 24 मीटर सड़क को दर्शाया जाएं। 3. आवेदित भूमि को उपलब्ध पहुंच मार्ग की चौड़ाई 12 मीटर की सुनिश्चितता की जाएं। सड़क मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी की भूमि में से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जाएं। 4. टाउनशिप पॉलिसी 2010 के प्रावधानों एवम् नियोजन को दृष्टिगत रखते हुए समिति के अन्य सुझावों का समावेश करते हुए ले-आउट प्लान जारी किया जाएं। 5. टाउनशिप पॉलिसी-2010 के समस्त प्रावधानों की पालना आवेदक स्तर पर सुनिश्चित की जाएं। 6. योजना का क्षेत्रफल 2 है० से कम है, अतः भविष्य में योजना की आवश्यकता अनुसार योजना में पार्क की भूमि पर Overhead Water Tank का निर्माण विशेष परिस्थिति में जोन उपायुक्त व निदेशक अभियांत्रिकी की स्वीकृति उपरान्त किया जा सकेगा। 7. मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 के प्रावधानानुसार 2 है० से कम क्षेत्रफल की योजना में नियमानुसार विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 10 प्रतिशत क्षेत्रफल के समतुल्य राशि जोन स्तर पर ली जाएं। 8. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 10.08.2020 को जारी अधिसूचना अनुसार नियमानुसार मोबाईल टॉवर एवं ठोस कचरा संग्रहण स्थल का प्रावधान किया जाएं। 9. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यों की एवज में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने हैं जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा। 10. अनुमोदित मानचित्र अनुसार मौके पर डिमारकेशन उपरान्त ही भूखण्डों के बेचान आदि की सुनिश्चितता प्रार्थी द्वारा की जाएं। 11. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जाएं कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जाएं। 12. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।				

आयुक्त महोदय द्वारा धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई। उक्त कार्यवाही विवरण सक्षम स्तर से अनुमोदित है।


 06/09/2023
 उप नगर नियोजक (द्वितीय)
 एवं सदस्य सचिव
 भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (एल.पी.)
 जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

क्रमांक: F37.(3)/नि.आ./बीपीसी(एल.पी.)/का.वि./2023/ 1173-78 दिनांक:- 08/08/2023

प्रतिलिपी निम्न को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

01. निजी सचिव, आयुक्त महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर।
02. निजी सचिव, सचिव महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर।
03. निदेशक (आयोजना/अभियांत्रिकी), जो.वि.प्रा., जोधपुर।
04. उपायुक्त (जोन-2), जो.वि.प्रा., जोधपुर।
05. सहायक नगर नियोजक (जोन-2), जो.वि.प्रा., जोधपुर।
06. प्रोग्रामर/एनआईसी शाखा को भेजकर लेख है कि इसे जो.वि.प्रा. की वेबसाइट पर अपलोड करने का श्रम करें।


08/08/2023
उप नगर नियोजक (द्वितीय)
एवं सदस्य सचिव

परिशिष्ट-“1”

भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (ले-आउट प्लान) की 21/2023 वीं बैठक दिनांक 29.08.2023 को आयुक्त महोदय, जोविप्रा, जोधपुर की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित हुई, बैठक में उपस्थिति निम्नवत थी:-

- | | |
|---|------------|
| 1. श्री देवेन्द्र कुमार, आयुक्त, जो.वि.प्रा., जोधपुर। | अध्यक्ष |
| 2. डॉ. हरीतिमा, सचिव, जो.वि.प्रा. जोधपुर। | सदस्य |
| 3. श्री महेन्द्र चौधरी, निदेशक (आयोजना), जो.वि.प्रा. जोधपुर। | सदस्य |
| 4. श्री महेन्द्र सिंह पंवार, निदेशक (आयोजना), जो.वि.प्रा. जोधपुर। | सदस्य |
| 5. श्री राजपाल यादव, उपायुक्त (जोन-2 जो.वि.प्रा. जोधपुर। | सदस्य |
| 6. श्री गणपत लाल सुथार उप नगर नियोजक, जो.वि.प्रा. जोधपुर। | सदस्य सचिव |


08/08/2023
उप नगर नियोजक (द्वितीय)
एवं सदस्य सचिव